RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-05
May-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[UGC Listed Journal]

तिहरे शोषण की शिकार दलित नारी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुबोध कान्त

शोध छात्र, सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी नीति अध्ययन केन्द्र, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 25 May 2019

Keywords
तिहरा शोषण, जातिवादी व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, पूँजीवादी व्यवस्था, समतावादी अधिकार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र

***Corresponding Author**
Email: kantbhu[at]gmail.com

ABSTRACT

हमारे समाज की सबसे कमजोर कड़ी दलित नारी रही है, जिसका जातिवादी, पितृसत्तावादी तथा पूँजीवादी व्यवस्था ने मिलकर तिहरा शोषण व उत्पीड़न किया है और यह उत्पीड़न व शोषण वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में भी किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान है। दलित नारियों का उत्पीड़न न सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्रों में हुआ है, बल्कि निजी (घरेलू) क्षेत्रों में भी अनवरत रूप से जारी है। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप इसके स्वरूपों व आयामों में भिन्नता व विविधता तो दर्ज की गयी है, परन्तु यह समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि उत्पीड़न के तरीके व पैमाने बदल गए हैं। आज दलित स्त्री को विभिन्न समतावादी कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी इस प्रबल तिहरे शोषण एवं लगातार आसान शिकार (सॉफ्ट टारगेट) बनाये जाने के कारण वह वास्तविक सशक्तिकरण व समतावादी सामाजिक अधिकारों से काफी दूर और दयनीय दशा में है।

प्रस्तावना –

दलित का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका दलन या उत्पीड़न किया गया हो। इस शब्द का सम्बन्ध किसी जाति या धर्म विशेष से नहीं है। वह शूद्र, स्त्री या अन्य कोई भी वर्ग हो सकता है; परन्तु कँवल भारती दलित शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ''दलित वह है, जिसपर अस्पृश्यता नियम लागू किया गया हो, जिसे कठोर, गन्दे व घिनौने कार्य करने के लिए बाध्य किया गया हो, जिसे स्वतन्त्र व्यवसाय करने तथा शिक्षा ग्रहण करने की मनाही हो, सिर्फ वही दलित है।'' शोधकर्ता भी कँवल भारती के विचारों से सामीप्यता रखते हुए यह समझता है कि दलित से तात्पर्य उन लोगों से है जो जाति संस्तरण व्यवस्था में सबसे नीचले स्तर या निम्न सामाजिक प्रस्थिति से सम्बन्ध रखते हैं, जिन्हें सामान्यतः अस्पृश्यों के रूप में जाना जाता था; क्योकि उनका अन्य जातियों से सम्पर्क मात्र और यहाँ तक कि परछाई भी पड़ जाये तो दूसरे जाति का व्यक्ति प्रदूषित हो जाता था; परन्तु संविधान निर्माण के पश्चात् अब उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है, क्योकि उन्हें कल्याणकारी सुविधायें मुहैया करने के लिए सरकारी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में पूरे दलित समुदाय का विषय विश्लेषण न करके केवल दलित नारियों की स्थिति, प्रस्थिति, परिधि एवं समस्याओं पर जोर दिया जायेगा।

हमारे देश में काफी दीर्घ काल से नारियों एवं दलितों का शोषण व उत्पीड़न अनेक स्वरूपों में होता रहा है, परन्तु उसमे भी दलित नारी पर दृष्टिपात करें तो उसकी स्थिति अतिदयनीय, बदतर व सोचनीय है और इसका प्रमुख कारण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त जाति के आधार पर भेदभाव, जेंडर के आधार पर भेदभाव, पूँजी के आधार पर भेदभाव व शोषण आदि रहा है। दलित नारी एक ऐसा वर्ग है जिसका शोषण व उत्पीड़न घर के बाहर व घर के अन्दर दोनों ही स्थानों पर अलग–अलग कारणों से निरन्तर जारी रहा है। सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप इसके स्वरूपों व आयामों में भिन्नता व विविधता तो दर्ज की गयी है, परन्तु यह समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि उत्पीड़न के तरीके व पैमाने बदल गए हैं।

दलित महिलाएं समाज की सबसे कमजोर कड़ी हैं, क्योकि जाति व्यवस्था में ये सबसे नीचले पायदान पर तो हैं ही, साथ ही उन्हें निजी एवं सार्वजानिक क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में पितृसत्तात्मक सीमाओं में बाँधा जाता है तथा उत्पीड़ित किया जाता है। समान व पर्याप्त अवसर तथा सर्वांगीण विकास के श्रोत उपलब्ध न होने से ये लगातार पीछे ही जा रही हैं। ऐसी दलित महिलाओं की संख्या लगभग नगण्य है, जो अब सशक्त हो गयी हैं या सशक्तता की राह पर हैं। अधिकांश दलित महिलाएं गावों तथा शहरों की मलीन बस्तियों में रहती हैं, जिनके शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर बहुत निम्न है। अपने बच्चों का पालन पोषण दिहाड़ी मजदूरी करके, दूसरे के घरों में चूल्हा – बर्तन व साफ – सफाई करके, कहीं कहीं बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करके किसी तरह कर पाती हैं। रोटी जुटाने के लिए दिन – रात घर के बड़े दूसरों की मजदूरी, बेगारी व नौकरगिरी करते रहते हैं, जिसके कारण वे अपने बच्चों का उचित समाजीकरण नहीं कर पाते। आर्थिक समस्या इतनी विकराल होती है कि बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए सक्षम नहीं हो पाते और वे स्वयं कई पीढ़ियों से अशिक्षित हैं एवं हमेशा मजदूरी व दूसरों की सेवा ही करते आये हैं, इसलिए शिक्षा के महत्व को समझकर उसे आत्मसात करने व आगे उन्नति करने का ख्याल भी बहुत कम दलितों में आ पाता है। वर्तमान परिदृश्य में काफी जागरूकता व प्रचार – प्रसार के बाद अधिकांश दलित अपने बच्चों को विद्यालय भेजने तो लगे हैं, परन्तु अब फिर वही पितृसत्तात्मक व्यवस्था आड़े आने लगती है। वे ब्राह्मणवादी परम्परा के अनुसार लड़कों के शिक्षा को तो महत्व कुछ हद तक दे भी देते हैं, परन्तु लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करते। सरकारी विद्यालयों में जहाँ तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है, सामान्यतः दलित स्त्रियां आज भी वहीं तक औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं। इन सरकारी विद्यालयों के शिक्षा की गुणवत्ता सर्वविदित है, जो किसी भी रूप में एक शिक्षित व स्वस्थ समाज निर्माण करने में सक्षम नहीं हैं।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

दलित स्त्रियों को बाहुबलियों द्वारा एक मजदूर के रूप में कार्य लिया जाता है और एक सामान्य दर की मजदूरी भी नहीं दी जाती है। समाज की सबसे दुर्बल तबका होने के कारण समाज के उच्च वर्गों व जातियों के लोगों द्वारा इनका शोषण, उत्पीड़न व बलात्कार जैसी घटनाएं सामान्य सी हो गयी हैं। आर्थिक समस्या होने के कारण दलित परिवार गांव के साहूकारों, ठाकुरों तथा अन्य पूँजीपतियों से उधार पैसे, अनाज आदि ले आते हैं, जिसका ब्याजदर बहुत ही उच्च होता है और ये कर्ज समय रहते जब नहीं चुका पाते तो दलित महिला की यौनिकता ही सबसे पहला लक्षित शिकार होती है। शहरों में भी झाड़ू – पोछा – बर्तन करने वाली महिलाओं (जो कि सामान्यतः दलित वर्ग से ही होती हैं) के साथ यह सामान्य बात है। दलित महिलाओं के शोषण में सिर्फ प्रत्यक्ष शोषणकर्ता ही दोषी नहीं है, बल्कि पुलिस, ग्राम प्रधान, उच्च व आला पदाधिकारी व अन्य संरक्षक सबकी मिली भगत से दलित नारियों के शोषण व उत्पीड़न का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि –

दलितों या दलित स्त्रियों का उत्पीड़न व शोषण कोई नयी समस्या नहीं है, बल्कि वर्णकाल से ही चल रही है। जाति निर्माण के बाद यह अत्यधिक सशक्त व शोषणकारी संस्था बन गयी। हिन्दू धर्म ग्रंथों में दलितों को पशुओं से भी निकृष्ट व बदतर माना गया है और उनके छू जाने या परछाई पड़ जाने मात्र से ही सवर्ण प्रदूषित हो जाता था, जिसके लिए दलितों को जानलेवा सजाएं दी जाती थीं। इन सब में दलित नारी सबसे ज्यादा शोषित थी। यह ब्राह्मणवादी मानसिकता इस हद तक निकृष्टता को प्राप्त कर चुकी थी कि सामान्य जनजीवन एवं धार्मिक रूप से दलित अछूत था, परन्तु स्थानीय ठाकुरों व बाहुबलियों द्वारा उन्ही दलित स्त्रियों को जबरन उठा ले जाने और उसका बलात्कार या सामूहिक बलात्कार करके फेंक देने में अछूत का भाव बिल्कुल भी नहीं आता था। इस घिनौने अपराध पर समाज व स्त्रियों को देवी बताने वाले ठेकेदार पूरी तरह चुप्पी साध लेते थे और इस स्थिति में यदि कोई पारिवारिक सदस्य बलात्कार पीड़िता के लिए बाहुबलियों का विरोध करता तो उसकी हत्या कर दी जाती थी या मार – पीट कर अपंग बना दिया जाता था।

रेवरेंड डब्ल्यू जॉनसन अपनी कृति '' नेटिव लाइफ इन ट्रावनकोर '' में बताते हैं कि केरल की 'पुलिया जाति' के पुरुष व महिलाएं दोनों ही घास के बनाये कपड़े पहनते थे। ट्रावनकोर के पूर्वी जिला के दलितों की स्थिति और भी खराब थी। उन्हें सडकों पर आने जाने की मनाही थी, बाजार में प्रवेश निषिद्ध था, महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं थी और पुरुष भी अर्धनग्न रहा करते थे। हट्टन रामनाड जिले के एक प्रभु जाति कल्लर तथा दलितों के बीच के संबंधों को वर्णित करते हुए कहते हैं कि उनमे आठ प्रकार के निषेध लागू थे और उसका उल्लंघन होने पर दलितों के साथ मारपीट करते थे, उनकी झोपड़ियां जला देते थे और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे। उस समाज में महिलाओं को ब्लाउज या चोंगा जैसे ऊपरी वस्त्र पहनना तथा फूल या केशर का लेप लगाना शख्त वर्जित था। इन निषेधों का उल्लंघन करने पर दलित स्त्रियों की छातियाँ काट ली जाती थी। राजस्थान में भी महिलाओं की स्थिति बदतर थी। अधिकांश दलित महिलाएं रखैल या दासियों की स्थिति में थी। दलित महिलाओं को विवाह की पहली रात किसी नवाब, जमींदार या बाहुबली के साथ गुजरने के लिए मजबूर किया जाता था। यह शोषण इतने लम्बे काल से चल रहा था कि यह एक प्रथा का रूप ले चुका था।

दलित महिलाओं का यौन शोषण करने तथा अपनी काम पिपासा तृप्त करने के लिए निकृष्ट व पाखण्डी ब्राह्मणों ने देवदासी प्रथा का आविर्भाव किया। ये देवदासियां अधिकांशतः दलित व पिछड़ी जातियों की होती हैं। इस प्रथा में दलितों – पिछड़ों को यह धारणा बताई गयी कि अपनी सुन्दर कन्याओं को भगवान की सेवा के लिए पूर्ण रूप से मंदिर को दान दे दो। यदि ऐसा नहीं किया तो भगवान नाराज हो जायेंगे और कन्या न दान देने वाले परिवारों पर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ेगा। सामाजिक दबाव बढ़ाने के लिए यहाँ तक डराया – धमकाया गया कि भगवान यदि क्रोधित हो गए तो प्रलय आ जायेगा और उनका पूरा समुदाय समाप्त हो जायेगा। धर्म के नाम पर मंदिरों में ब्राह्मण उन देवदासियों का यौन शोषण व बलात्कार करते रहे हैं। दुःख और आश्चर्य की बात यह है कि यह घिनौनी प्रथा भारतीय संविधान द्वारा प्रतिबंधित व दंडनीय करार दे दिए जाने के बावजूद अभी भी कुछ स्थानों पर (मुख्यतः दक्षिण भारत में) विद्यमान है।

इसे विडम्बना ही कहा जा सकता है कि एक ओर तथाकथित सवर्ण समाज की स्त्रियों में पर – पुरुष का ध्यान करना भी पाप और धर्म विरोधी समझा जाता था; वहीं दलित नारी को अपना सर्वस्व लुटा देने पर मजबूर किया जाता था। धीरे – धीरे इस घृणित व शोषणकारी स्थिति को अपनी नियति मानने के पीछे दलित वर्ग की दयनीय आर्थिक, सामाजिक स्थिति तथा सत्ता का नगण्य होना ही रहा।

दलित नारियों का तिहरा शोषण –

दलित नारियां यदि किसी एक ही शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था की शिकार हुई होतीं तो आज विभिन्न अधिकारों व संरक्षणात्मक प्रावधानों के आधार पर उन्होंने अपने स्थिति व प्रस्थिति को बेहतर कर लिया होता, परन्तु दलित स्त्री किसी एक ही शोषण का शिकार न होकर तिहरे शोषण व उत्पीड़न का शिकार होती रही है। इन तीनो शोषणकारी व्यवस्थाओं का सबसे ज्यादा आसान शिकार दलित स्त्री ही इसलिए हुई क्योकि समस्त भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न वर्गों में यही वर्ग सबसे ज्यादा निर्बल व अधिकार विहीन रहा है और यह किसी भी समाज की नियति रही है कि समाज में उसी वर्ग का शोषण व उत्पीड़न सबसे ज्यादा होता है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अदि सभी तरीकों से सबसे ज्यादा कमजोर होता है।

दलित नारी के इस तिहरे शोषण के प्रबल कारकों में प्रथम स्थान जाति व्यवस्था का है। जाति व्यवस्था व उससे सम्बन्धित धार्मिक व मनुस्मृति के शोषणकारी व असमानताकारी प्रावधानों ने एक वर्ग को अस्पृश्य बना दिया। सामाजिक सहवास, सार्वजानिक स्थलों के उपयोग, सामाजिक जीवन जीने के भौतिक श्रोतों आदि से दलितों व अस्पृश्यों को निषिद्ध तो किया ही , साथ ही विकास करने के सर्वप्रमुख श्रोत ज्ञानार्जन से भी वंचित कर दिया। दलित स्त्रियों के साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस हद तक दुर्दशा व अन्याय किया कि उन्हें अवैतनिक या झूठन पर जिन्दा रहने वाली नौकरानी ,

RRIJM 2015, All Rights Reserved

रखैल तथा देवदासी तक बना दिया। इन शोषणकारी प्रावधानों को प्रथा के रूप में सम्पूर्ण समाज के लेगों के मस्तिष्क में इस प्रकार रचा बसा दिया गया कि एक स्वतन्त्र जीवन के लगभग सारे अधिकार व अवसर मिलने के बाद भी दलित स्त्री अपने प्रति किये गए धार्मिक षड्यंत्रों को अभी भी नहीं समझ पायी है और उसे अचेतन रूप से निभाए जा रही है। दक्षिण भारत में कुछ दलित महिलाएं अभी भी अपनी इच्छा से देवदासी बन जाती हैं, क्योकि अभी भी उनको भगवान के प्रलय का भय है और कुछ महिलाएं जो देवदासी प्रथा के साथ वेश्यावृत्ति में डाल दी गयी हैं, वह उस वेश्यावृत्ति को छोड़कर उससे होने वाले धनोपार्जन व आजीविका को खोना नहीं चाहती हैं। दलित चिंतक 'बुद्ध शरण हंश' कहते हैं कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत ही कम परिवारों को जीते – मरते देखा गया है। धन के अभाव में बच्चों की पढ़ाई आसानी से छूट जाती है या छुड़ा दी जाती है, परन्तु धन के अभाव में कोई भी पर्व त्यौहार कोई भी दलित नहीं छोड़ता है। इसी कारण कर्ज लेकर भी पर्व मनाना दलितों की दुर्गति का कारण बनता जा रहा है।

द्वितीय, पितृसत्तात्मक व्यवस्था दलित नारी समेत समस्त नारी जगत के शोषण व उत्पीड़न का प्रबल कारक रहा है और आज भी विद्यमान है। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण ही अन्य भारतीय जातियों व वर्गों की तरह दलित समुदाय में भी महिलाओं को सम्पत्ति के अधिकार, निर्णयन अधिकार तथा स्त्री पुरुष समानता के अधिकारों से लगातार वंचित किया जाता रहा है। अब संविधान द्वारा सारे अधिकार प्राप्त करने के बाद भी बहुत ही कम दलित स्त्रियों का उत्थान एवं सशक्तिकरण हो सका है। ऐसा होने का मुख्य कारण दलित स्त्रियों में भारी असाक्षरता व अशिक्षा का व्याप्त होना है। जिन दलित परिवारों ने शिक्षा के महत्त्व को समझा और पुत्र – पुत्री में भेद किये बिना दोनों को सामान रूप से शिक्षा प्रदान किया, उन परिवारों की आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति पूर्व की अपेक्षा काफी बेहतर हो चुकी है (हलाकि इनमे भी पितृसत्तात्मकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है), परन्तु अफसोस कि ऐसी दलित स्त्रियों कि संख्या बहुत ही कम है। अधिकांश दलित स्त्रियां वर्तमान समय में भी अशिक्षित हैं और अपने अधिकारों एवं विकास के श्रोतों के प्रति जागरूक नहीं हैं, जिस कारण से परिवार में वह हमेशा दोयम दर्जे व शोषण – उत्पीड़न का शिकार भी रहीं हैं। घर में सास – ससुर द्वारा अत्याचार, पति द्वारा शराब पीकर मारने – पीटने व गाली देने आदि की घटनाएं उनके साथ निरन्तर घटती रहती हैं और ये दलित स्त्रियां इन अत्याचारों को अपनी नियति मानकर जहर के घूट पीकर जिन्दा हैं।

तृतीय, पूंजीवाद भी दलितों व दलित स्त्रियों के उत्पीड़न में अहम् भूमिका निभाता रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था की यह प्रकृति / नियति रही है कि वह शोषितों / सर्वहारा का और अधिक शोषण करती है तथा शोषकों / बुर्जुआ को और अधिक सत्ताधारी व धनवान बनाती है। इस पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों का कार्य सामान्यतः दलितों व पिछड़ों ने ही किया है, जिनका अधिक से अधिक दोहन करके न्यूनतम पारिश्रमिक दिया जाता है। इस व्यवस्था में दलित स्त्रियां अत्यधिक उत्पीड़न की शिकार होती हैं, क्योकि उनके कार्यों का अवमूल्यन कर दिया जाता है। समान पारिश्रमिक हेतु कानून निर्माण के बाद महिलाओं को उच्च व उत्पादनकारी पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता। साथ ही कार्यस्थल पर बच्चों के देखभाल की भी कोई व्यवस्था नहीं है। खदानों जैसे खतरनाक जगहों पर काम करने वाली महिलाओं व पुरुषों को भूस्खलन के कारण दब कर मर जाने के बाद पूंजीपति उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं देते हैं। दलित समाज में उचित शिक्षा व दक्षता न होने के कारण उन्हें रोजगार भी नहीं मिलता। इस परिदृश्य में ये पितृसत्तात्मक पूंजीवादी लोग दलित व पिछड़ी महिलाओं को कोई भी छोटा – मोटा काम दिलाने के बदले उनका यौन शोषण करते हैं।

'विमल थोरात' अपने अध्ययन के आधार पर बताती हैं कि अधिकांश दलित समाज की महिलाएं खेतिहर मजदूर हैं, जो बहुत ही कम मजदूरी पर कार्य करती हैं। उन्हें हर रोज बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। निम्न जाति एवं निम्न आर्थिक स्थिति से सम्बंधित होने के कारण उच्च जाति के अमीर लोगों पर आश्रित होने से उन्हें बलात्कार तथा अन्य यौनिक एवं मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो स्त्रियां असंगठित क्षेत्रों जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन करना, घरेलू नौकरानी, कागज – प्लास्टिक चुनना, बेलदारी, सड़क निर्माण में मजदूर, सड़कों पर घूम – घूम कर कंघी – बिंदी बेंचना, सिलाई, मोची तथा मल – मूत्र साफ करने जैसे कार्यों में लगी हैं; वह ज्यादा परिश्रम करती हैं और कम पारिश्रमिक पाती हैं। साथ ही उनको प्रसूति अवकाश, साप्ताहिक अवकाश जैसी कोई भी सामाजिक सुविधा उपलब्ध नहीं है।

निष्कर्ष –

काफी दीर्घ काल से दलित स्त्री जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था व पूंजीवादी व्यवस्था जैसे शोषणकारी व असमानताकारी संस्थाओं का एक आसान शिकार (सॉफ्ट टारगेट) रही है। इस प्रबल तिहरे उत्पीड़न के कारण आज दलित स्त्री विभिन्न समतावादी कानूनी अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद भी अभी काफी दयनीय दशा में है। सामाजिक परिवर्तन के साथ – साथ उनके शोषण व उत्पीड़न के आयामों व तरीकों में परिवर्तन आया है और निश्चित रूप से अभी भी उत्पीड़न जारी है। वर्तमान समय में भी उनमे अधिकांशतः अशिक्षा व्याप्त है और वे आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि दो वक्त की रोटी से ज्यादा सोचने समझने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। जो दलित महिलाएं किसी प्रकार उच्च पदों पर आसीन है और जिनकी सामाजिक – आर्थिक स्थिति बेहतर है, वह भी अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए नहीं सोचतीं हैं। इसी बिन्दु पर डॉ. कुसुम मेघवाल कहती हैं कि ऐशो – आराम की जिंदगी जीने वाली उच्च पदों पर काम करने वाली महिलाएं अपने ऐशो – आराम में वृद्धि की तो मांग कर रही हैं, किन्तु समाज की कमजोर वर्ग की महिलाओं को ऊपर उठाने की कोई योजना उनके दिमाग में नहीं है और न ही वे इसके लिए प्रयासरत हैं। एक अन्य समस्या दलितों व दलित महिलाओं की मानसिक गुलामी का भी है। दलित महिलाएं धार्मिक कर्मकाण्ड व अन्य परम्पराओं व प्रथाओं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके पराधीनता का साजो – सामान ही तैयार करते हैं, को कर्ज लेकर भी निभाते हैं, परन्तु बच्चों की शिक्षा धन के आभाव में छुड़ा देते हैं। इन दलित स्त्रियों की समस्याओं का निवारण उनको शिक्षित करके, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करके तथा शोषक वर्गों के मानसिक

RRIJM 2015, All Rights Reserved

परिवर्तन के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को समुचित रूप से लागू करके ही संभव हो सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. दुबे, अभय कुमार (२०१४), आधुनिकता के आईने में दलित, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.
2. सुमन, डॉ. मंजू , रावत, ज्ञानेन्द्र (२००४), दलित नारी : एक विमर्श, सम्यक प्रकाशन, नयी दिल्ली.
3. विजयश्री, प्रियदर्शिनी, अनुवादक झा, विजय कुमार (२०१०), देवदासी या धार्मिक वेश्या, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.
4. सिन्हा, सच्चिदानन्द, अनुवादक मोहन, अरविन्द (२०१६), जाति व्यवस्था : मिथक, वास्तविकता एवं चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली.
5. राजकिशोर (२०१४), स्त्री के लिए जगह, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली.
6. हट्टन, जे एच, अनुवादक सिंह, मंगलनाथ (२००७), भारत में जाति प्रथा : स्वरूप, कर्म एवं उत्पत्ति, मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन, दिल्ली.
7. सिंह, मीनाक्षी निशांत (२००८), आधुनिकता एवं महिला उत्पीड़न, ओमेगा प्रकाशन, नयी दिल्ली.
8. खानकाही, निश्तर, अग्रवाल, डॉ. गिरिराज शरण (२०००), नारी : कल और आज, हिन्दी साहित्य निकेतन, बिजनौर.
9. 9. वेबस्टर, जॉन सी. बी., (२००१) द दलित सिचुएशन इन इंडिया टुडे, इंटरनेशनल जॉर्नल ऑफ फ्रोन्टी मिशन्स, पृष्ठ संख्या १५ – १७.
10. https://www.ijfm.org/PDFs_IJFM/18_1_PDFs/jw_dalit_situation.pdf
11. मेहता, पूर्वी (2013) रिकॉस्टिंग कास्ट : हिस्टोरिएस ऑफ दलित ट्रांसनेशनलिज्म एंड द इण्टर नेसनलाइजेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन.
12. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/102442/purvim_1.pdf?sequence=1

RRIJM 2015, All Rights Reserved